

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बड़जलास- डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -49/2021

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2021/67

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोंडेण्ट्स
1. सुरेशचंद पुत्र पुखराज जाति महाजन		1. तहसीलदार रियांबड़ी, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
2. बेणीगोपाल पुत्र पुखराज जाति महाजन		2. हल्का पटवारी, रियांबड़ी, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
3. विमल कुमार पुत्र बिड़दीचंद महाजन निवासीगण रियांबड़ी, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर		

उपस्थिति:-

1. अपीलाण्टस् की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास।
2. रेस्पोंडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक 30/09/2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 29/2020 सरकार बनाम सुरेशचंद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था किन्तु उस जवाब को नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलाण्ट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर, विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाये बिना, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाण्ट्स व उसके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में बिना सुनवाई किए एकपक्षीय रूप आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण आदेश की जानकारी को वक्त आदेश नहीं हो सकी एवं पीछले 2 माह से लॉकडाउन भी था जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ अपीलाण्ट्स ने तहसील जाकर दिनांक 01.06.2021 को जानकारी की तब अपीलाण्ट्स को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई, तब अपीलाण्ट्स ने नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 03.06.2021 को प्राप्त होने पर अपीलाण्ट्स प्रथम बार आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट्स को आदेश जैर अपील की जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मयाद पेश करने एवं न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोंडेण्ट राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रियांबड़ी ने मौजा रियांबड़ी के खमरा संख्या 824 रकबा 0.02 हैक्टर, किस्म भूमि गैर मुमकिन सड़क पर संवत् 2021 सुरेशचंद, बेणीगोपाल पिसरान पुखराज, विमल कुमार पुत्र बिड़दीचंद जातियान महाजन निवासीगण रियांबड़ी द्वारा दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की टी.पी. रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की गई जिस पर इस न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सायलान के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956



की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये जिस पर गैर सायलान सुरेशचंद व विमल कुमार उपस्थित हुए और वकील श्री उम्मेदपुरी गोस्वामी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर पुनः सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया और नियमानुसार सीमाज्ञान हेतु आवेदन करने के लिए सूचित किया गया। बावजूद सूचना के निर्धारित तारीख पेशी पर न ही उपस्थित न ही पुनः सीमाज्ञान का आवेदन पेश किया। इससे साफ जाहिर होता है कि गैर सायलान का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने गैर सायलान के विरुद्ध दिनांक 18.02.2021 को विवादित भूमि से बेदखली व जुर्माना कायम करते हुए आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांत निम्न आधारों पर उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 पूर्णतया अवैध विधिविरुद्ध एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.08.2020 को विवादित भूमि की मौका जांच कर मौका रिपोर्ट पेश की गई किन्तु मौके पर किसी प्रकार का कोई नाप चोप नहीं किया गया, न ही उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि कितनी भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि व कितनी भूमि अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट अपूर्ण मौका रिपोर्ट है। किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपूर्ण मौका रिपोर्ट को आधार मानकर जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत बेणीगोपाल की ओर से जबाब पेश किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 824 व 825 अपीलांत की खातेदारी की भूमि है जिसके पूर्वी तरफ पुरानी पक्की दीवार करीब 70 वर्ष पूर्व से बनी हुई है। उस समय भी हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाकर ही दीवार का निर्माण करवाया गया था। अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार का नया निर्माण वर्तमान में मौके पर नहीं किया गया है। चूंकि विवादित भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मौके का उभय पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर ही अंतिम निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर जो आदेश जैर अपील पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित खसरा नम्बर 824 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि अपीलांत की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है जिस भूमि को तहसीलदार मेड़ता ने वर्ष 1978 में गलत रूप 0.02 हैक्टर भूमि बिना अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिए गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिया। जिसका तहसीलदार को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उसकी खातेदारी की भूमि किसी अन्य को नहीं दी जा सकती, ऐसी स्थिति में यह विस्तृत जांच का विषय था कि जिस भूमि पर अपीलांत का अतिक्रमण बताया जा रहा है वह वास्तव में सड़क का भाग है अथवा नहीं इस संबंध में मौके पर नाप करवाया जाना आवश्यक था ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना नाप चोप करवाये जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अलग-अलग अतिक्रमियों के विरुद्ध विधि अनुसार संयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस कारण भी आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है होने का कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबडी द्वारा प्रकरण संख्या 29/2020 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट्स की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रियांबडी तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबडी के समक्ष दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम रियांबडी विवादित गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा करना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स के वकील श्री उम्मेद पुरी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा, जो अवसर दिया



गया। इसके पश्चात वकील श्री उम्मेद पुरी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया एवं सीमाज्ञान का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु के निर्देश दिये गये, परन्तु सीमाज्ञान का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही वकील अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट्स अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध विधिवत एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया गया, जो पूर्णतया उचित है।


खसरा नम्बर 824 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि अपीलान्ट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि को तहसीलदार मेड़ता द्वारा वर्ष 1978 में गलत रूप से 0.02 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिये जाने को लेकर वकील अपीलान्ट्स का कथन है। वकील अपीलान्ट के इस कथन के संबंध में निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा बिना अधिकार के यदि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को गलत रूप से गैर मुमकिन दर्ज कर दी है, तो उक्त संबंध में रिलिफ हेतु पृथक कार्यवाही है। धारा 91 आर.एल. आर.एक्ट की अपील में ऐसे तथ्य पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, जो कि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतया सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का रियांबडी तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबडी के समक्ष दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम रियांबडी के खसरा नम्बर 824 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर दिवार बनाकर कब्जा करना साबित है। अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में वकील श्री उम्मेद पुरी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहे जाने पर, अपीलान्ट की ओर से जबाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात वकील श्री उम्मेद पुरी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर सीमाज्ञान का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु के निर्देश दिये गये परन्तु अपीलान्ट की ओर से सीमाज्ञान का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही आगामी तारीख पेशियों पर वकील अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध विधिवत एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया गया, जो उचित है।

जहां तक खसरा नम्बर 824 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होने एवं जिस भूमि को तहसीलदार मेड़ता ने वर्ष 1978 में गलत रूप 0.02 हैक्टर भूमि बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिये जाने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा बिना अधिकार के यदि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को गलत रूप से गैर मुमकिन दर्ज कर दी है, तो उक्त संबंध में रिलिफ हेतु पृथक कार्यवाही है। धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की अपील में ऐसे तथ्य पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज है, जो कि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलान्टीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को अपनी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।




(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर, जयपुर